न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2022 (उदयपुर आर्डर)

1. उदयलाल पिता देवीलाल जी गुर्जर, निवासी खारबाई की कुई, देवाली (बलीचा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. चतुर्भज पिता देवीलाल जी गुर्जर, निवासी खारबाई की कुई, देवाली (बलीचा), तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी किशनलाल जी गुर्जर, निवासी साकरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्डअधिकारी, मावली दिनांक 07—11—2022 प्रकरण संख्या39/2022

———::———

उपस्थित :— 1—श्री तुलसीराम डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2—श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं.1

3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक04—07—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वाराएक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किगांव साकरोदा में प्रार्थीया के खातेदारी आधिपत्य कब्जे काश्त की आराजियात स्थित हैं। परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित आराजी नंबर 46, 47, 48 कुल किता 3 रकबा 1.2059 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 49, 50, 52, 53, 54 कुल किता 5 रकबा 2.9238 हैक्टर भूमि भी प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है। उक्त परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' की भूमियों के दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 1 व 2 के आधिपत्य कब्जे एवं खातेदारी की आराजी 343 रकबा 3.6907 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीया की आराजी के दक्षिण [illegible] पाली में जो रास्ता वर्तमान में स्थित है, जिसे संलग्न नक्शा [illegible] कर रखा है, इसी रास्ते से प्रार्थीया अपनी आराजियात [illegible] इत्यादि [illegible] ले जाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 16:10:29 IST
Reason: SelfAttested

है। प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त आराजियात करीब 20 वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की। उक्त आराजियात के विक्रेता भी इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे और विपक्षीगण ने भी उक्त आराजी नंबर 343 नाथू एवं नारायण से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था और इनके विक्रेता ने भी इस रास्ते में कभी दखल नहीं दिया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थीया को दिलाया जावे। प्रार्थीया उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीया ने आराजी नंबर 343 का रास्ते के रूप में कभी भी उपयोग–उपभोग नहीं किया, न ही इनके पूर्व विक्रेता ने उक्त आराजी का रास्ते के रूप में उपयोग किया। प्रार्थी के पास उसकी खातेदारी की आराजी नंबर 46 व 49 के उत्तरी दिशा में स्थित आराजी नंबर 45 से होकर आगे आराजी नंबर 34 व 31 किस्म रास्ता होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता उपलब्ध है एवं इसी रास्ते का उपयोग प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी भी करते थे। प्रार्थीया विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक07–11–2022 सेप्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–11–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया किअधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे पर कोई गौर नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्ट की खातेदारी भूमि में आने जाने का न्यूनतम रास्ता आराजी नंबर 45 से होकर आराजी नंबर 31 व 34 में उपलब्ध है, जिसका रेस्पोन्डेन्ट व उसके पूर्वाधिकारी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मौके को बिना देखे उपलब्ध रेकार्ड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested

विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार ही रास्ते बाबत् कीमतम आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेउभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट तलब कर निर्णय किया गया कि मौके पर प्रार्थीया को अपनी अराजी में आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रेकार्डेड रास्ता मौजूद नहीं है। साथ ही न्यूनतम दूरी वाला रास्ता प्रदान किया गया है। अपीलान्टगण यह साबित करने में नाकाम रहे कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कायम किये गये रास्ते के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। फलस्वरूप अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7–11–2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 04–07–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:10:29 IST
Reason: SelfAttested